न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:— **जीतू कुलहरी, R.A.S.**
राजस्व वाद संख्या: 376/2022 दायर दिनॉंक 01.09.2022

वादीगण

1. शेर मोहम्मद पुत्र ईनायत खां उम्र 51 वर्ष जाति कायमखानी निवासी चौलूखां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. आलम अली पुत्र स्व0 भंवरू खां उम्र 80 वर्ष
2. नूर मोहम्मद पुत्र ईनायत खां उम्र 68 वर्ष
3. खान मोहम्मद पुत्र ईनायत खां उम्र 48 वर्ष समस्त जाति कायमखानी निवासीगण चौलूखां तहसील डीडवाना जिला नागौर
4. यूको बैंक शाखा डीडवाना
5. तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा **बाबत्**
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बन्टवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री मो0 अली शैरानी वादी।
2. श्री राकेश वर्मा वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनॉंक 10.01.2023

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है खेत खसरा सं0 1137 रकबा 5.6600 हैक्टे0 की भूमि पर मौके पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 काबिज काश्त चला आ रहा है, जबकि राजस्व रेकर्ड में खेत खसरा सं0 1137 रकबा 5.6600 हैक्टे0 की भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो रखी है तथा इसी प्रकार खेत खसरा सं0 1136 रकबा 2.1900 हैक्टे0 बारानी 1 वाकै सरहद दौलतपुरा की भूमि पर मौके पर प्रतिवादी सं0 1 काबिज काश्त चला आ रहा है, जबकि राजस्व रेकर्ड में खेत खसरा सं0 1136 रकबा 2.1900 हैक्टे0 बारानी 1 वादी के पिता इनायत खां के नाम से खातेदारी हो रखी है।

यह है कि खेत खसरा सं0 1137 रकबा 5.6600 हैक्टे0 की भूमि पर मौके पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 काबिज काश्त चला आ रहा है, जबकि राजस्व रेकर्ड में खेत खसरा सं0 1137 रकबा 5.6600 हैक्टे0 की भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो रखी है तथा इसी प्रकार खेत खसरा सं0 1136 रकबा 2.1900 हैक्टे0 बारानी 1 वाकै सरहद दौलतपुरा की भूमि पर मौके पर प्रतिवादी सं0 1 काबिज काश्त चला आ रहा है, जबकि राजस्व रेकर्ड में खेत खसरा नम्बर 1136 रकबा 2.1900 हैक्टे0 बारानी 1 वादी के पिता इनायत खां के नाम से खातेदारी दर्ज हो रखी है।

यह है कि उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम गलत खातेदारी दर्ज होने के बावजूद भी वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं0 1 उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरान की 1/2–1/2 भाग भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलत खातेदारी दर्ज होने तथा खेत खसरा सं0 1137 रकबा 5.6600 हैक्टे0 भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो रखी है, जिसमें से वादी के हक अधिकार व कब्जा काश्त से 10 बीघा 14 बिस्वा अर्थात 1.7320 हैक्टे0 अधिक भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं0 1 के अधिक दर्ज हो रखी है जिसको दुरूस्त करवाकर खेत खसरा सं0 1137 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा अर्थात 3.9820 हैक्टे0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम दर्ज की जावें तथा इसी अनुसार खेत खसरा सं0 1136 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा अर्थात 3.9820 हैक्टे0 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2023.12.07 13:16:25 IST
Reason: SelfAttested

डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि वाकै सरहद दौलतपुरा खेत खसरा सं0 1137 की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 आलम खां के नाम है तथा खसरा सं0 1136 इनायत खां के नाम है। इसलिए इन रकबो की भौतिक रूप से अदला बदली इस प्रकार की जावें खसरा सं0 1137 रकबा 5.6600 हैक्टे0 भूमि में से 3.9820 हैक्टे0 (24 बीघा 05 बिस्वा) भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावें तथा इसी प्रकार खेत खसरा सं0 1136 रकबा 2.1900 हैक्टे0 बारानी 1 वाके सरहद दौलतपुरा की भूमि व खसरा सं0 1137 में से शेष बची भूमि 1.7320 हैक्टे0 को मिलाकर कुल रकबा 3.98200 हैक्टे0 (24 बीघा 05 बिस्वा) भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम घोषित की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का राजीनामा पेश हुआ जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मो0 अली शैरानी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की पहचान वकील श्री राकेश वर्मा ने की। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी का डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:आदेश :–

मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की शहरद मे खसरा सं0 1137 रकबा 5.6600 हैक्टे0 भूमि में से 3.9820 हैक्टे0 (24 बीघा 05 बिस्वा) भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाकर खेत खसरा सं0 1136 रकबा 2.1900 हैक्टे0 भूमि व खसरा सं0 1137 में से शेष बची भूमि 1.7320 हैक्टे0 को मिलाकर कुल रकबा 3.98200 हैक्टे0 (24 बीघा 05 बिस्वा) भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(जीतु कुलहरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

उक्त निर्णय आज दिनाँक 10.01.2023 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(जीतु कुलहरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2023.12.07 13:16:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner